(128)

संख्या-260 / /XXVIII(1)/2012-42/2009

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-01 देहरादूनः दिनांक02 दिसम्बर, 2013 जनवरी

विषयः- बेस चिकित्सालय सम्बद्ध श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ब्लड कम्पोनेट सेपरेशन यूनिट (BCSU) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर के पत्र संख्या-मे0का0/निर्माण/2011/2451, दिनांक 04.10.2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0-417, दिनांक 31.03.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेस चिकित्सालय सम्बद्ध श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट के निर्माण हेतु निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन रू0 43.67 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 43.15 लाख (रू0 3.65 लाख की धनराशि अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों की) की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया गया है। चूंकि प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 40 हजार को उपयोग में नहीं लाया गया है। अतः इस धनराशि को औचित्यपूर्ण पायी गयी उपरोक्त धनराशि रू0 43.15 लाख में समायोजित करते हुए प्रश्नगत कार्यों हेतु कुल रू0 43.15 लाख के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, अवशेष **रू0 42.75 लाख (रू0 बयालीस लाख पिछत्तर हजार मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2012-13 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत कार्यो को करते समय भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्याक्रम (एन0ए0सी0पी0) के दिशा-निर्देशों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूनल आफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/समक्ष अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर समक्ष अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियो को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
7. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219((2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनाराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्त धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण परदर्शी प्रकिया से किया गया हो एवं प्राप्त न्यूनतम राशि के सापेक्ष आरहण किश्तों में किया जायेगा।
11. शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्य धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्व रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. कार्यदायी संस्थाओं को डिपॉजिस्ट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों एवं साज सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार शासनादेश सं0–163/ XXVII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 के अनुसार देय होगा तथा प्रथम चरणों के कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि का सेन्टेज की देय राशि में यथास्थिति समायोजित किया जायेगा। यदि प्रथम चरण के लिए स्वीकृत धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे शीघ्रातिशीघ्र(कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही) राजकोष में जमा करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitbate आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
14. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भाति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए ताकि निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
15. उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को भविष्य में प्रश्नगत कार्यदायी संस्था के सेन्टेज चार्ज (Centage charge) में समायोजित किया जायेगा।
16. उक्त धनराशि तत्काल आहरित करायी जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।
17. स्वीकृति धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैन्युवल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
18. आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

19. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या हर दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्धद करायी जायेगी।
20. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

2– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलोपैथिक 03–श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानक मद 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– ऑन लाईन बजट आवंटन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

4– यह आदेश वित्तीय विभाग के अशासकीय स0 123(P)XXVII(3)2012-13 दिनांक 02 नवबर 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरायय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
5. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर।
6. निदेशक , कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी गढ़वाल।
8. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एडस नियंत्रण समिति, चंदर नगर, देहरादून।
9. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई 02 श्रीनगर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Medical Education (S031)

आवंटन पत्र संख्या - 2001/XXVIII(1)/2012-42/2009

अलोटमेंट आई डी - S1302120127

अनुदान संख्या - 012

आवंटन पत्र दिनांक - 10-Feb-2013

HOD Name - Director General Medical Health & Family Welfare (2671)

1: लेखा शीर्षक - 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

105 - एलोपैथी

00 - श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना

03 - चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

03 - श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना

Plan Voted

मालक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	37949000	4275000	42224000
	37949000	**4275000**	**42224000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4275000